छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर

क्रमांक/681/ 63 एवं 65/2008/परीक्षा रायपुर, दिनांक 23/06/2008

संक्षिप्त विज्ञप्ति

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के विज्ञापन क्रमांक 01/2008/परीक्षा/दिनांक 07/03/2008 रोजगार और नियोजन में प्रकाशन दिनांक 12/03/2008 के द्वारा सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, (गृह विभाग) के रिक्त 74 पदों हेतु तथा विज्ञापन क्रमांक 03/2008/परीक्षा/दिनांक 14/03/2008 रोजगार और नियोजन में प्रकाशन दिनांक 26/03/2008 के द्वारा सहायक अभियंता (सिविल), जल संसाधन विभाग के रिक्त 56 पदों हेतु आवेदन आमंत्रित किये गये थे।

उक्त पदों हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक आवेदन पत्र प्रस्तुत करने वाले सभी अभ्यर्थियों को उनके द्वारा की गई घोषणा के आधार पर आवेदन पत्रों की संवीक्षा किये बिना लिखित परीक्षा में प्रवेश दिया जायेगा। लिखित परीक्षा कार्यक्रम निम्नानुसार है:-

स.क्र.	पद का नाम	परीक्षा की तिथि एवं समय	परीक्षा केन्द्र
1.	सहायक अभियंता (सिविल), जल संसाधन विभाग	10/08/2008 (दस अगस्त-2008) दिन रविवार को पूर्वाह्न 10 से 12 बजे।	शासकीय छत्तीसगढ़ स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बैरन बाजार, रायपुर।
2.	सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, (गृह विभाग)	24/08/2008 (चौबीस अगस्त-2008) दिन रविवार को पूर्वाह्न 10 से 12 बजे।	रायपुर एवं बिलासपुर जिला मुख्यालय के निर्धारित परीक्षा केन्द्रों में।

❖ परीक्षा में विज्ञापन में दिए गये पाठ्यक्रम अनुसार केवल एक प्रश्नपत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार का 200 अंकों का होगा तथा कुल प्रश्नों की संख्या 100 होगी एवं प्रश्नपत्र की अवधि 2 घंटे की होगी।

क्रमशः 2

❖ लिखित परीक्षा के आधार पर मेरिट सूची से रिक्त पदों के 3 (तीन) गुना तथा अंतिम अभ्यर्थी के बराबर अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को वर्गवार साक्षात्कार हेतु अर्ह घोषित किया जायेगा। साक्षात्कार में 25 अंक होगें।

❖ परीक्षा में **OMR** (ओ.एम.आर) उत्तर–पुस्तिका का उपयोग किया जाएगा। परीक्षार्थियों को **OMR** (ओ.एम.आर) उत्तर–पुस्तिका में प्रश्न के चार विकल्पों में से सही विकल्प को **काले बाल पॉइण्ट पेन** से पूर्णतः काला किया जाना होगा। चूँकि काले बाल पॉइण्ट पेन से की गई प्रविष्टि स्थाई होगी इसलिए एक बार उत्तर अंकित करने के पश्चात उसे परिवर्तित करना संभव नहीं होगा। **इसलिए उत्तर अंकित करने के संबंध में परीक्षार्थी पर्याप्त सावधानी बरतें।**

❖ जन्म तिथि, लिंग, छ.ग. के मूल निवासी, आरक्षण की श्रेणी तथा विकलांग यदि हो के संबंध में **OMR** (ओ.एम.आर) उत्तर–पुस्तिका में अनिवार्यतः वही जानकारी देवें जो आपके द्वारा मूल आवेदन पत्र में दी गई हैं।

❖ उक्त पदों हेतु आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थियों को प्रवेशपत्र उनके पत्र व्यवहार के पते पर यथासमय प्रेषित कर दिये जायेगें। यदि किसी कारणवश उन्हें परीक्षा तिथि के एक सप्ताह पूर्व तक प्रवेशपत्र प्राप्त नहीं होता है तब वे आयोग कार्यालय में कार्यालयीन समय में डुप्लीकेट प्रवेशपत्र प्राप्त कर सकते हैं।

❖ **लिखित परीक्षा में सम्मिलित करने का अर्थ यह कतई नहीं होगा कि अभ्यर्थी को अर्ह मान लिया गया है। लिखित परीक्षा में अर्ह ऐसे अभ्यर्थियों के आवश्यक शैक्षणिक अर्हता, अनुभव, आयु, आरक्षण की पात्रता तथा अन्य बिन्दुओं पर साक्षात्कार पूर्व सूक्ष्म संवीक्षा की जाएगी। प्रमाण–पत्रों की सूक्ष्म जाँच के पश्चात् केवल अर्ह अभ्यर्थियों को ही साक्षात्कार की पात्रता होगी, अन्य अभ्यर्थियों को विज्ञापन की संबंधित कंडिकाओं में उल्लेखित प्रावधानों के अन्तर्गत अनर्ह कर दिया जायेगा।**

सही/–
अवर सचिव
छ.ग. लोक सेवा आयोग,
रायपुर